



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O) 07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E-Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा.चि./न0क्र0-130/2020/ 1971
प्रति,

अम्बिकापुर दिनांक 02-12-2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर।

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Sarguja Division "Bharatnet project which is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic Fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber of 32,466 KM will involve 26 districts across the State" Area-8,903 ha.-regarding
पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/42621/2019

- संदर्भ :-** 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-823/2019 दिनांक 10.11.2020
2. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल का पत्र क्र./तक.अधि./1704 दिनांक 02.12.2020

—00—

विषयांकित वनभूमि व्यापवर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र-1 द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट परियोजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत मार्ग के समानांतर वनभूमि 7.967 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.936 हेक्टेयर, कुल वनभूमि 8.903 हेक्टेयर पर ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु प्रकरण में 03 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

उपरोक्त के परिपालन में वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल के संदर्भित पत्र-2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उपरोक्तानुसार वांछित 3 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्रमांक - 1 :- प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-43 से संबंधित Form - IV में वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल का हस्ताक्षर पूर्ण किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

बिन्दु क्रमांक - 2 :- प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-261 अनुसार राजस्व वनभूमि उपयोग हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं होने के संदर्भ में आवेदक संस्थान छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा जानकारी दी गई है कि कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वनभूमि के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। (छायाप्रति संलग्न)

बिन्दु क्रमांक - 3 :- उक्त प्रस्ताव में प्रभावित वनक्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने के संदर्भ में आवेदक संस्थान छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा जानकारी दी गई है कि उक्त प्रभावित वनक्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावेगा। (छायाप्रति संलग्न)

E-mail
02-12-2020

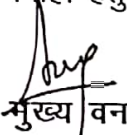
वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल का संदर्भित पत्र मय सहपत्र की छायाप्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार 03 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ०क्र०/मा.चि./न०क्र०- 130/2020/1972
प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य कार्य पालन अधिकारी, छ०ग० इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर एस. डी. सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर
अम्बिकापुर, दिनांक 02-12-2020


मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर
02/12